कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/स्थानांतरण/संस्कृत/2019–20 दिनांक– 29.09.2019 के तहत् कैलाश चंद्र सेन, व्याख्याता, संस्कृत, राउमावि समरपुरा, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि गुढ़ा, बूंदी किया गया। कैलाश चंद्र सेन द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3090/2019 कैलाश चंद्र सेन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3090/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 25.10.2019 द्वारा अपीलार्थी कैलाश चंद्र सेन को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने एवं पेश किये जाने की स्थिति में इसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आदेश प्रसारित कर निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम मे अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नि के मानसिंक रोग से पीड़ित होने, तथा उसका उपचार जयपुर के एसएमएस के मनौचिकित्सक के निर्देशन में होने एवं बच्चे छोटे होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि वाटर वर्क्स, जयपुर, राउमावि सिरोही, जयपुर, राउमावि झाडला, जयपुर, राउमावि लखेर, जयपुर, राउमावि वनस्थली, निवाई, टोंक, राउमावि किशनगढ, अजमेर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक पुनः विचार किया गया।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इनका समायोजन राउमावि वनस्थली, निवाई, टोंक में व्याख्याता संस्कृत के रिक्त पद पर पदस्थापित कर अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। श्री कैलाश चंद्र सैन व्याख्याता संस्कृत को निर्देशित किया जाता है कि ये अपने समायोजित स्थान पर व्याख्याता संस्कृत के रिक्त पद पर दिनांक 30/06/2020 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/संस्कृत/अपील सं. 3090/कैलाशचंद्र सेन/2019 दिनांकः– 22/06/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. कैलाश चंद्र सैन व्याख्याता, संस्कृत।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर